संख्या :870/ XXIV(6)/2011

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
कुमांऊ विश्वविद्यालय,
नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग–6

देहरादून दिनॉक :22 मार्च–2011

विषय : कुमांऊ विश्वविद्यालय नैनीताल की भीमताल स्थित भूमि की चाहरदीवारी निर्माण हेतु स्पेशल कम्पोनेंट प्लान (एस0सी0एस0पी0) योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : केयू/भवन–256/2010/944 दिनॉक 11, अगस्त–2010 एवं पत्र संख्या : केयू/भवन/2010/990 दिनांक 06,अक्टूबर 2010 में किए गए प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय कुमांऊ विश्वविद्यालय नैनीताल की भीमताल स्थित भूमि की चाहरदीवारी के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा प्रस्तुत आंगणन ₹ 72.32 लाख जिसका परीक्षणोपरांत टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत ₹ 69.07 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान (S.C.S.P.) योजनान्तर्गत ₹ 69.07 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **₹ 25.00 लाख (₹ पच्चीस लाख मात्र)** को निम्नांकित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन व्यय करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक व्यय हो सकने वाली धनराशि का ही यथा आवश्यकता आहरण किया जायेगा । कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाना आवश्यक होगा।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। निर्माण कार्य के आगणन का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा एवं किसी भी दशा में अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लें, निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरुप कार्य किया जाय।

(7) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय । आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय ।

(8) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 2047/xiv–219(2006) दिनांक 30,मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आंगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

(9) आंगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

2. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा अनुमन्य दरों पर कराया जाय एवं विशेष रूप से किये जाने वाले कार्यों की गणना पृथक रूप से आगणन में की जाय।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार, नैनीताल से जिला शिक्षा अधिकारी नैनीताल के प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरान्त किया जायेगा । तत्पश्चात् नियमानुसार धनराशि निर्माण एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी ।

4. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रुप से उत्तरदायी मानी जायेगी।

5. व्यय उन्हीं कार्यों एवं योजनाओं पर किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है।

6. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, डी0जी0एस0एण्डडी0 की दर तथा यह दर निश्चित न होने पर टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जाना होगा तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्यतता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना होगा, क्रय की गयी सामग्री का अंकन स्टाक रजिस्टर में किया जायेगा जिसे सम्बन्धित् अधिकारी द्वारा सत्यापित/प्रमाणित भी किया जाना होगा। कम्प्यूटर आदि के क्रय के सम्बन्ध में आई0टी0 विभाग/नवीनतम शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

8– निर्माण कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या : 475/XXVII(7)/2007 दिनांक 15,दिसम्बर–2008 की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से M.O.U. हस्ताक्षरित किया जायेगा ।

9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–30 के अधीन लेखा शीर्षक–2202 सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–आयोजनागत–102–विश्वविद्यालयों को सहायता–02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, 0206–कुमांऊ विश्वविद्यालय–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या – 670(पी)/XXVII(3)/2011 दिनॉक 15,मार्च–2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 87 (1)**XXIV(6)**/2011 –तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार, उत्तराखण्ड,देहरादून।
(2) आयुक्त कुमायूं मण्डल,नैनीताल/जिलाधिकारी,नैनीताल।
(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
(5) जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
(6) निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तरांचल।
(7) निजी सचिव, मा0मुख्यमन्त्री।
(8) परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम नैनीताल।
(9) वित्त अनु–3,/नियोजन अनुभाग,उत्तरॉचल शासन।
(10) बजट राजकोषीय,नियोजन एवं संसाधन,सचिवालय,देहरादून।
(11) समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन ।
(12) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(वेदीराम)
अनु सचिव।